2.22 पत्रावली पेश हुई। मुकुलचन्द कमिश्नर अन्य अपील पेश नहीं हुआ। अतः पत्रावली बाबत जवाब दिनांक 8.4.22 को पेश हो।

8.4.22 पत्रावली पेश हुई। मुकुलचन्द कमिश्नर अन्य जवाब पेश नहीं हुआ। अतः पत्रावली बाबत जवाब दिनांक 17.5.22 को पेश हो।

17/5/22 पत्रावली पेश हुई। मुकुलचन्द कमिश्नर अन्य। जवाब पेश नहीं हुआ। समय चाहते हैं। अतः पत्रावली बाबत जवाब दिनांक 13/6/22 दिया है।

13.6.22 पीठासीन अधिकारी [illegible] के रहने की पूर्वदत्त दिनांक 18-8-22 को प्रस्तुत हो।

लिपिक
[illegible] अधिकारी [illegible]

18.8.22 पत्रावली पेश हुई। कमिश्नर जायसवाल कमिश्नर जायसवाल के लिए तीन बार अवसर प्रदान किया गया। वास्तव इसका के न्यायालय से अन्य नहीं की कार्यवाही का बाद अब हमारी अपील मेरी से खारिज किया जाता है। पत्रावली निस्तारित खारिज होकर बाद वादिनी मुकदमा के प्राविधि दस्ट हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:19:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner